फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री मोहनलाल देशप्रेमी पुत्र श्री त्रिवेणीकान्त
जाति राजपुरोहित
निवासी पाडीव
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 35 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.04.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 25.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 16.12.2020 को अध्यक्ष जनअभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति कलक्टर कार्यालय सिरोही में पंचायतीराज चुनाव 2020 में पाडीव पंचायत में श्री अक्षयपालसिंह पुत्र श्री जुजारसिंह राजपूत ने नाम निर्देशन में वास्तविक तथ्यों को जान–बूझकर छुपाने बाबत शिकायत पत्र दिया था। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाई की जांच पत्रावली की छायाप्रति उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 25.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 16.12.2020 को अध्यक्ष जनअभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति कलक्टर कार्यालय सिरोही में पंचायतीराज चुनाव 2020 में पाडीव पंचायत में श्री अक्षयपालसिंह पुत्र श्री जुजारसिंह राजपूत ने नाम निर्देशन में वास्तविक तथ्यों को जान–बूझकर छुपाने बाबत शिकायत पत्र दिया था। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाई की जांच पत्रावली की छायाप्रति उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर [illegible] निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई [illegible] । यदि सूचना देना नियमों में सं[illegible] नही हो तो [illegible] पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.27 12:20:21 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner